राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

1.एकलपीठ दांडिक निगरानी याचिका संख्या 555/2015
भवानीशंकर बनाम श्रीमती मधु तंवर

2.एकलपीठ दांडिक निगरानी याचिका संख्या 1508/2014
श्रीमती मधु तंवर बनाम भवानीशंकर

दिनांक – 31.8.2015

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री गिरीश खण्डेलवाल, अधिवक्ता प्रार्थी अन्तर्गत निगरानी याचिका संख्या 555/2015.
श्री गोविन्द चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी अन्तर्गत निगरानी याचिका संख्या 1508/2014.

निगरानी याचिका संख्या 555/2015 के साथ प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 समयावधि अधिनियम प्रस्तुत कर निगरानी याचिका पेश करने में हुई देरी को माफ किये जाने की प्रार्थना की गयी है। मैनें प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। मैं प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से संतुष्ट हूं। अत: उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी याचिका पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाता है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रार्थना है कि दोनों निगरानी याचिकाओं की सुनवाई आज ही कर ली जावे। उनकी प्रार्थना न्यायसंगत है। अत: निगरानी याचिकाओं की सुनवाई की गई।

भवानीशंकर की ओर से उपरोक्त वर्णित दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 555/2015 एवं श्रीमती मधु तंवर की ओर से उपरोक्त वर्णित दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 1508/2014 न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2014 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"अतएव प्रार्थिया श्रीमती मधु तंवर का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 127 द.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी भवानीशंकर को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीया को 1800/- रुपये के स्थान पर 3500/- रुपये मासिक भरण पोषण भत्ता आज की तिथि 10.10.2014 से अदा करेगा। आदेश सुनाया गया।"

चूंकि उपरोक्त वर्णित दोनों निगरानी याचिकाओं के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय को चुनौती दी गयी है, जिससे इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.10.2014 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं आक्षेपित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त दोनों निगरानी याचिकाओं में निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

दोनों ही पक्ष परिस्थितियों में परिवर्तन होने या नया वाद कारण उत्पन्न होने की अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आक्षेपित निर्णय में संशोधन के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

दोनों निगरानी याचिकाओं का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है। निगरानी याचिका संख्या 555/2015 के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.

SK Sharma

DR